पत्रांक–3/एम0–162/2005 सा0प्र0–12196

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

अनिल कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 07/9/ 2016

विषयः– निगरानी ब्यूरो/आर्थिक अपराध इकाई द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने (trap cases) से संबंधित मामलों में विभागीय कार्यवाही का कालबद्ध निष्पादन करते हुए तार्किक परिणति तक पहुँचाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकारी सेवकों के आपराधिक कदाचार में लिप्त होने के कारण भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम एवं भा0द0वि0 के तहत् फौजदारी मुकदमा दर्ज करने के साथ ही समुचित तथ्यों पर आधारित आरोप–पत्र गठित कर विभागीय कार्रवाही प्रारंभ करने के संबध में विभागीय परिपत्र सं0–2324 दिनांक–10.07.2007 निर्गत है। सरकारी सेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के निष्पादन में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं का सम्यक अनुसरण करने के संबंध में विभागीय परिपत्र सं0–1893 दिनांक–14.06.2011 द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त सभी विभागीय कार्यवाहियों के कालबद्ध निष्पादन हेतु समय–सीमा निर्धारित करते हुए उसका कड़ाई से अनुपालन करने हेतु विभागीय परिपत्र सं0–2763 दिनांक–26.02.2014 एवं रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने (trap cases) से संबंधित मामलों में विभागीय कार्यवाहियों का निष्पादन अधिकतम 8 (आठ) माह के भीतर किये जाने हेतु विभागीय परिपत्र संख्या–12787 दिनांक–28.08.2015 द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. उपर्युक्त प्रावधानों के बावजूद भी सरकार के समक्ष ऐसे दृष्टांत आ रहे हैं जिनमें विभागीय कार्यवाहियाँ, विशेषकर निगरानी ब्यूरो/आर्थिक अपराध इकाई द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने वाले मामलों (trap cases) में, निगरानी विभाग/आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई द्वारा आरोपित सरकारी सेवकों के विरुद्ध संकलित सम्पूर्ण साक्ष्यों को प्रशासी विभाग को उपलब्ध नहीं कराये जाने तथा आरोपित सरकारी सेवकों के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाहियों में उनके विरुद्ध संकलित साक्ष्यों एवं गवाहों को प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण विभागीय कार्यवाहियाँ लम्बे समय तक तार्किक परिणति तक नहीं पहुँच पाती हैं। ऐसा होने से न सिर्फ भ्रष्टाचार के प्रति राज्य सरकार की zero tolerance की नीति पर प्रतिकूल असर पड़ता है, बल्कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गये सरकारी सेवकों को ससमय उचित

दंड नहीं मिलने से अन्य सरकारी सेवकों के साथ–साथ जन साधारण में भी गलत संदेश जाता है।

3. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0सं0– 12247/2015 आलोक कुमार शर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य वाद में दिनांक– 30.11.2015 को पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में समीक्षोपरांत निगरानी ब्यूरो/आर्थिक अपराध इकाई द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने वाले (trap cases) मामलों में विभागीय कार्यवाहियों के त्वरित निष्पादन हेतु साक्ष्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निम्नांकित दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते हैं –

(i) अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने वाले (trap cases) मामलों में जिला स्तर पर अपर समाहर्त्ता एवं विभाग स्तर पर संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी को ही विभागीय कार्यवाही में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाय।

(ii) किसी सरकारी सेवक को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने अथवा अन्य कदाचार के मामलों में गिरफ्तारी के पश्चात् निगरानी ब्यूरो/आर्थिक अपराध इकाई द्वारा उस सरकारी सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने हेतु अपना मंतव्य सभी सम्बन्धित साक्ष्य सहित प्रशासी विभाग को तत्काल **(गवाहों की सूची एवं उनके पते सहित)** उपलब्ध कराया जाय।

(iii) वैसे सभी मामलों में, जिनमें रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए जाने संबंधी आरोप के लिए किसी सरकारी सेवक को अभियुक्त बनाया गया हो एवं उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किया जाना हो, संबंधित सरकारी सेवक को गिरफ्तार किए जाने की तिथि के तीन माह के अन्दर विभागीय कार्यवाही निश्चित रूप से प्रारंभ कर दी जाय तथा आरोप पत्र के गठन की तिथि के आठ माह के अन्दर विभागीय कार्यवाही को निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय।

(iv) ऐसे मामलों में निगरानी विभाग/आर्थिक अपराध इकाई के धावा दल में शामिल पदाधिकारी/सदस्यगण सक्षम गवाह होते हैं तथा उन्हें विभागीय कार्यवाही में आरोपों से संबंधित साक्ष्य देने हेतु प्रस्तुत करना न्यायिक दृष्टिकोण से आवश्यक है। गवाहों का परीक्षण नहीं होने के कारण विभागीय कार्यवाही दूषित (vitiate) हो सकती है। अतः निदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो एवं महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई का यह दायित्व होगा कि वे सुनिश्चित करें कि धावा दल में शामिल पदाधिकारी/कर्मी निर्धारित तिथि को विभागीय कार्यवाही में निश्चित रूप से उपस्थित हों, ताकि गवाहों की अनुपस्थिति के कारण विभागीय कार्यवाही के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब न हो। ट्रैप केसेज से संबंधित मामलों में साक्षी के रूप में ट्रैप टीम के प्रभारी एवं अन्य 2/3 पदाधिकारियों/कर्मियों, जिनकी उपस्थिति में सरकारी सेवक को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है, को साक्षी के रूप में रखना पर्याप्त होगा। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा किसी खास बिन्दु से संबंधित आवश्यक गवाहों को एक ही दिन बुलाया जाये ताकि उनके बयान दर्ज हो सकें तथा एक ही तथ्य के लिए गवाहों की पुनरावृत्ति एवं बारम्बार बुलाये जाने से बचा जाय।

(v) विभागीय कार्यवाही में अभियुक्त द्वारा सहयोग नहीं किये जाने की स्थिति में संचालन पदाधिकारी द्वारा एक पक्षीय सुनवाई किये जाने का प्रावधान है। अतः आरोपित सरकारी सेवक के द्वारा विभागीय कार्यवाही में सहयोग नहीं किये जाने की स्थिति में विभागीय कार्यवाही का निष्पादन, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए, पूर्व में निर्गत परिपत्रों में निर्धारित अधिकतम समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाय।

(vi) आरोपित सरकारी सेवक के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने हेतु आवश्यक सभी दस्तावेज/बयान की प्रति आरोप–पत्र के साथ ही दाखिल कर दिया जाय ताकि प्रथम तिथि पर ही आरोपित को उपलब्ध कराया जा सके। संचालन पदाधिकारी प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि आरोप पत्र एवं अन्य संबंधित कागजात आरोपित कर्मी को उपलब्ध हो गये हैं। अगर आरोपित कर्मी द्वारा अन्य कागजातों की मांग की जाती है, तो उसे उपलब्ध कराये जाने के बिन्दु पर संचालन पदाधिकारी द्वारा अधिकतम एक माह के भीतर निर्णय लिया जाय। संचालन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यथासंभव आरोपित कर्मी द्वारा अपनी सफाई में मांगे जाने वाले गवाहों के बयान एवं कागजातों की सूची, धारक (custodian) के नाम एवं पता के साथ प्रस्तुत किया जाय, जिससे कि इस संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जा सके तथा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा त्वरित रूप से वांछित कागजात संबंधित विभाग से प्राप्त कर उपलब्ध करवाया जाय। इस सम्बन्ध में सभी विभागाध्यक्ष/अनुशासनिक प्राधिकार यह सुनिश्चित करेंगे कि वांछित एवं उपलब्ध कराये जाने योग्य सभी कागजात यथाशीघ्र उपलब्ध करा दिया जाय।

(vii) संबंधित विभाग, निगरानी विभाग, आर्थिक अपराध इकाई तथा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अपने अधीन लंबित काण्डों की प्रगति की नियमित monitoring की जाय। साथ ही प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा सुनवाई की प्रत्येक तिथि को हुई प्रगति का विवरण सबंधित विभाग को भेज कर आवश्यक कागजात या गवाहों की उपस्थिति/अनुपस्थिति का प्रतिवेदन समर्पित किया जाय, जिससे बिना विलम्ब के अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

विश्वासभाजन

ह0/-

(अनिल कुमार)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक –3/एम0–162/2005 सा0प्र0–12196 पटना, दिनांक 07/9/2016

प्रतिलिपि– पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, पटना/महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, बाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार)

सरकार के विशेष सचिव